मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-10

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 26, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 109 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 122 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 23 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में विद्युत संकट होने,
(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर श्योपुर की कराहल तहसील की पुरानी विद्युत लाईनें बदलने,
(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की दमोह जिले की सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने,
(4) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की उमरिया के ग्राम बिजुरिया में डेम-कम-रपटे के टूटने,
(5) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर के खातोली एवं बड़ौदा सड़कों की हालत जर्जर होने,
(6) श्री पाँचीलाल मेड़ा, सदस्य की धरमपुरी के ग्राम निबोला एवं गोलाटी में विद्युत तारों के चोरी होने,
(7) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की राज्य शिक्षा केन्द्रों की सर्व शिक्षा अभियान योजना में भ्रष्टाचार होने,
(8) श्री नागेन्द्र सिंह, सदस्य की सतना के लिलजी बांध से रीवा के गुढ़ क्षेत्र में सिंचाई बंद की जाने,
(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा शहर के मंदिर से मूर्तियों की चोरी होने,
(10) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ के होडा माताजी के क्षेत्र में विद्युत लाईन न डालने,
(11) डॉ. बाबूलाल वर्मा, सदस्य की शाजापुर के ग्राम डोडियाखड़ी में स्कूल निर्माण में अनियमितता होने,
(12) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित मछली की इंदौर में बिक्री की जाने,
(13) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की नीमच के कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा मनमानी करने,
(14) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा के सेमरिया में हैजे का प्रकोप होने,
(15) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बैहर के ग्राम नवलपुर आदि ग्रामों में ट्रांसफार्मर्स बंद पड़े होने,
(16) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य की मुरैना की ग्राम पंचायत चिन्नौनी में अवैध तरीके से पट्टों का वितरण होने,
(17) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला के बरगी जलाशय के डूब प्रभावित गांवों हेतु पुल निर्माण करने,
(18) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य की बालाघाट के परसवाड़ा क्षेत्र के स्कूलों में ताले न खुलने,

(19) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की मैहर विकास खंड के स्कूलों की जर्जर अव्यवस्था होने,

(20) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की अशोकनगर के चंदेरी ब्लाक में राशन दुकानें न खुलने,

(21) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह के सनावद स्कूल की कक्षाएं टेंट के नीचे लगाने,

(22) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल के मुलताई में गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी होने तथा

(23) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की ब्यावरा (राजगढ़) में अजनार नदी के पुल की सड़क पर कांक्रीट न करने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

3. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में छः सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षण की छः सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कम्प्यूटर लैब में आग लगने से क्षति होने की ओर जनसंपर्क मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसंपर्क मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, आरिफ अकील, सदस्यगण ने भोपाल नगर निगम द्वारा नियम विपरीत ढाबों को तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने छिंदवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(4) सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील तथा श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्यगण ने भोपाल के वार्ड क्रमांक 27 में निर्माणाधीन व्यायाम शाला को गिराने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र में गरीबी रेखा की सूची बनाये जाने में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) सर्वश्री तुलसीराम सिलावट, अश्विन जोशी, सत्यनारायण पटेल, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, रामनिवास रावत, तथा बालाराम बच्चन, सदस्यगण ने इंदौर जिले में आपराधिक घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. स्वागत

माननीय अध्यक्ष द्वारा श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय सांसद की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 10 सन् 2009) को पुरःस्थापित किया।

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2009 (क्रमांक 11 सन् 2009) को पुरःस्थापित किया।

6. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार, प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए पांच सौ पैंतीस करोड़, नब्बे लाख, तेरह हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए पांच सौ अड़सठ करोड़, अड़तीस लाख, छियासी हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए सात सौ एक करोड़, चौहत्तर लाख, सतहत्तर हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक सौ सात करोड़, पन्द्रह लाख, बीस हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 62	पंचायत के लिए तैंतालीस करोड़, पचपन लाख, छत्तीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए उन्नीस सौ इक्यासी करोड़, बत्तीस लाख, सात हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 15	2, 3, 4
मांग संख्या - 30	3, 5, 7, 8, 10
मांग संख्या - 52	1, 4
मांग संख्या - 59	1
मांग संख्या - 62	4, 5, 6, 8, 9
मांग संख्या - 80	2, 4

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री अजय सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल

(3) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ

(4) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(5) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(6) श्री आत्माराम पटेल
(7) श्री बालाराम बच्चन
(8) श्री दीपक कैलाश जोशी
(9) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(10) श्री शंकरलाल तिवारी
(11) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(12) श्री विश्वामित्र पाठक
(13) श्री जसवंत हाड़ा
(14) श्री राजकुमार उरमलिया
(15) श्री शिवमंगल सिंह तोमर
(16) राव देशराज सिंह
(17) श्री अभय कुमार मिश्रा
(18) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -12	ऊर्जा के लिए सत्रह सौ दो करोड़, पैंतीस लाख, इकसठ हजार रूपये;
अनुदान संख्या -19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए सात सौ तिरासी करोड़, छियालीस लाख, अटारह हजार रूपये;
अनुदान संख्या -61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक हजार रूपये;
अनुदान संख्या -73	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय के लिए एक हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -79	चिकित्सा शिक्षा के लिए दो सौ सोलह करोड़, सैंतीस लाख,चौहत्तर हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -12	1, 3, 5, 17, 18, 25, 26, 27
मांग संख्या -19	4, 5, 12, 14, 19
मांग संख्या -61	1
मांग संख्या -73	-
मांग संख्या -79	2

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए।

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री हुकुम सिंह कराड़ा (भाषण अपूर्ण)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर सरकारी सदस्यों के लिए नियत होने संबंधी उल्लेख किया गया तथा सायं 6 बजे तक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के पश्चात् अशासकीय कार्य के लिए लेने हेतु सदन की सहमति विषयक प्रस्ताव किया गया।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से अनुरोध किया गया कि नियम 117 में शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे अशासकीय कार्य हेतु नियत है। अतः अशासकीय कार्य के समय में कटौती नहीं की जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि अशासकीय संकल्पों पर चर्चा में ढाई घण्टे का समय नहीं लगेगा। बजट की चर्चा का संबंध संपूर्ण प्रदेश से होने के कारण समग्र चर्चा आवश्यक है। अतः सदन की सहमति की प्रत्याशा में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के व्यवस्था के प्रश्न का अग्राह्य किया जाता है।

8. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(2) श्री मनोहर ऊंटवाल
(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(4) श्री शंकरलाल तिवारी
(5) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(6) श्री सरताज सिंह
(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(9) श्रीमती साधना स्थापक
(10) श्री आरिफ अकील

श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अशासकीय संकल्प

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं आरिफ अकील, सदस्यगण ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -
"सदन का यह मत है कि शिक्षक से शिक्षा कार्य के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कराया जाय".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री आरिफ अकील
(3) श्री जसवंत हाड़ा
(4) श्रीमती साधना स्थापक
(5) श्री रामलखन सिंह
(6) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(7) श्री श्रीकांत दुबे
(8) श्री केदार नाथ शुक्ल
(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(10) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री

श्रीमती अर्चना चिटनिस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

(2) सर्वश्री रमेश प्रसाद खटीक एवं ठाकुरदास नागवंशी, सदस्यगण ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -
"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि चैन्नई से देहरादून, चंड़ीगढ़ एवं जयपुर तक चलने वाली ट्रेनों को चेन्नई के स्थान पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल "रामेश्वरम"तमिलनाडू से चलाई जाय".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।
श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -
"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि विंध्य क्षेत्र के विकास के लिये स्वीकृत ललितपुर-सिंगरौली रेल्वे लाईन को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाय तथा शहडोल-इलाहाबाद व्हाया सीधी रेल्वे लाईन का सर्वेक्षण कार्य कराया जाय ".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।
श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण उनका संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपराह्न 7.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 29, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.